सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 102/15 **निर्णय दिनांकः 28.06.2019**

1. धापूदेवी पत्नी भागीरथ
2. रामस्वरूप | पिसराम भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन
3. भगवानाराम | काकड़ा तहसील नोखा हाल निवासी
चक 2 एसएसएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. भंवरलाल | पिसरान भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन काकड़ा
2. हड़मान | तहसील नोखा हाल चक 2 एसएसएम तहसील
3. किशनलाल | खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 23–12–2013
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री धन्ने सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 23–12–2013 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त भूमि बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि चक 2 एसएसएम प्रथम के मुरब्बा नम्बर 217/11 की 4.18 बीघा कमाण्ड तथा 4.18 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नहीं किया गया है। मात्र यह अंकित करते हुए कि अन्य आवेदकों द्वारा सहमति पत्र दिया गया, उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धापूदेवी पत्नी भागीरथ, भवंरलाल, हड़मान, किशनलाल, रामस्वरूप, भगवानाराम पिसरान भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी काकड़ा तहसील नोखा हाल चक 2 एसएसएम तहसील खाजुवाला ने वादग्रस्त भूमि के मध्यम पट्टी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धापूदेवी पत्नी भागीरथ, हड़मान, किशनलाल, रामस्वरूप, भगवानाराम पिसरान भागीरथ ने भंवरलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में सहमति पत्र दिये जाने का हवाला देते हुए उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जबकि उपरोक्त तमाम आवेदकों द्वारा किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मात्र आवंटन आदेशिका की संलग्न है इसके अतिरिक्त आवंटन पूर्व क्या कार्यवाही आवंटन अधिकारी की गई इसका पत्रावली में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्रों पर आवंटन अधिकारी ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही मिडियम पेच आवंटन से पूर्व अन्य चिपते काश्तकारों को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा फर्जी तरीके से सहमति पत्र तैयार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय व अन्य आवदकों को अंधेरें में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सक्षम स्तर पर कार्यवाही भी की जा रही है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर वादगत् भूमि का आंवटन बतौर मिडियम पेच कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सभी आवेदकों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपनी सहमति पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अन्य आवेदकों द्वारा जब अपनी सहमति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जा चुकी है ऐसी स्थिति में अब उन्हें अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार उक्त भूमि आवंटन दिनांक को शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने पर विधिवत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट के मुरब्बे में निहित भूमि है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तथा अन्य आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पर भूमि आवंटन के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में सहमति

प्रस्तुत करने प्रकरण में भी वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उक्त आवंटन से अपीलांट के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है तथा आवंटन पश्चात् प्रार्थी द्वारा तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के जाली हस्ताक्षरों से सहमती पत्र तैयार करते हुए अपीलांट्स की पीठ पीछे जारी होने के कारण अपीलांट्स को समय पर जानकारी होना संभव नहीं था। जानकारी के तत्काल बाद अपील पेश कर दी है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद बिन्दु, प्रभाविक पक्ष के रूप में सीपीसी की धारा 96 की दरखवाश्त तथा जाली दस्तावेजों के मामलें में अपील नहीं होने की आपत्ति पर अलग से सुनवाई की मांग की गई। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट्स की समस्त आपत्तियों/दरखवाश्तों का निर्णय एक साथ करने तथा अपील का शीध्र निस्तारण करने का अनुरोध किया। मियांद बिन्दु पर की गई आपत्ति का निर्णय दिनांक 09—05—2019 को अलग से कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय की नजरसानी

दरखवाश्त पेश की जिसका निर्णय भी दिनांक 27—06—2019 को अलग से किया जाकर दरखवाश्त खारिज की गई। रेस्पोडेन्ट ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु को भी अलग से निर्णय करने का अनुरोध किया गया। चूंकि यह अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिडियम पेच भूमि के आवंटन के आदेश के विरूद्व है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। रेस्पोडेन्ट की आपत्ति है कि आवंटन में जालसाजीपूर्ण तरीके से तैयार दस्तावेजों को चुनौती दी गई है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, परन्तु दस्तावेजों की सत्यता अपील का मुख्य अनुतोष न होने के कारण रेस्पोडेन्ट की आपत्ति खारिज की गई।

यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा जारी मिडियम पेच आवंटन आदेश दिनांक 23—12—2013 के विरूद्व पेश की गई है। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अनुसार रेस्पोडेन्ट भंवरलाल द्वारा दिनांक 23—09—2013 को चक 2 एसएसएम I के मुरब्बा नम्बर 217/11 के किला नम्बर 1 से 10 की 10 बीघा भूमि को मिडियम पेच आवंटन के रूप में आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा आवंटन योग्य भूमि के चिपते हुए काश्तकारों को सूचना पेश की जिसके अनुसार उसी मुरब्बें में धापूदेवी, भंवरलाल(रेस्पोडेन्ट), हड़मान, किशनलाल, रामस्वरूप व भगवानाराम को संयुक्त खातेदार के रूप में दक्षिण दिशा में चिपते काश्तकार दर्शाया गया है। उत्तर दिशा के मुरब्बा नम्बर 217/10 का भंवरलाल (रेस्पोडेन्ट) तथा पूर्व में अन्य आराजीराज रकबा है। आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन अधिकारी द्वारा पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जानी चाहिए थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट भंवरलाल द्वारा अन्य पड़ौसी सह खातेदारों की और से तैयार कथित सहमति पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी कर दिया। अपीलांट्स इस प्रकार के किसी सहमति पत्र को जाली बता रहे है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अपील का मुख्य विचारणीय पक्ष दस्तावेजों की कूटरचना न होकर आवंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का है। राजस्थान (इगानप क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम, 1975 के नियम 14 (1) में मिडियम पेच भूमि के आवंटन के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया के तहत

आवंटन योग्य भूमि के पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करने हेतु 30 न्यूनतम दिन पूर्व सूचना जारी की जाती है तथा पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते है। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रतिस्पर्धी दरों पर आवंटन किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण में इस प्रकार की कोई सूचना जारी किये बिना केवल रेस्पोडेन्ट भंवरलाल के आवेदन पत्र उसके पक्ष में भूमि आवंटित कर दी। अन्य पड़ौसी काश्तकारों को यदि सूचना नहीं दी गई तथा स्वप्रेरित सहमति पत्र भी दिया होता तो ऐसे सहमति पत्र की सत्यता की पुष्टि स्वयं आवंटन अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। आवंटन अधिकारी ने उपरोक्त प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट भंवरलाल के साथ दुरभिसंधी करते हुए एकतरफा आवंटन आदेश जारी कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला दिनांक 31—12—2013 निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को रिमाण्ड किया जाता है कि आवंटन योग्य भूमि के निस्तारण से पूर्व नये सिरे से सूचना जारी की जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर